रा० आवेदन 387/22

रीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	रेखाराम V/s मलाराम वगैरा	
16/10/23	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित । पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनाक 18/12/23 को पेश हों ।	
18/12/2023	प्रार्थी व विप्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित, विप्रार्थीगण वकील द्वारा एक प्रार्थना पत्र वास्ते उक्त आवेदन को खारीज करने बाबत पेश किया गया। जिसका जबाब पेश करने हेतु प्रार्थी वकिल को कई बार अवसर दिये गये पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नही करने पर प्रार्थी अधिवक्ता का जवाब बन्द किया गया जिस पर जबाब पेश नहीं किया गया उक्त आवेदन पर प्रार्थी व विप्रार्थीगण के वकील की बहस सुनी गई। विप्रार्थीगण वकिल द्वारा बताया गया कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में उक्त भूमि के सम्बन्ध में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का राजस्व आवेदन 203/2015 पेश किया गया उक्त प्रकरण में प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य जरिये राजिनामा दिनांक 29.12.2021 के अनुसार आदेश किया गया। उक्त राजिनामें में प्रार्थी द्वारा वर्तमान राजस्व रेकर्ड व तरमीम को स्वीकार करते हुए राजिनामा पेश किया गया। लेकिन प्रार्थी द्वारा उन्ही खसरों के सम्बन्ध में न्यायालय को गुमराह करते हुए पुनः एक नया राजस्व आवेदन 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का पेश किया गया जो की रेसज्युडिकेटेड की श्रेणी में आता हैं तथा उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार गिड़ा से मौका रिपोर्ट भी तलब की गई उक्त मौका रिपोर्ट में भी वर्तमान राजस्व रेकर्ड के अनुसार प्रार्थी व विप्रार्थीगणों का कब्जा काश्त होना बताया गया। इसलिए प्रार्थी का उक्त आवेदन पूर्व राजिनामा के आधार पर रेसज्युडिकेटा की श्रेणी में आने व वर्तमान कब्जा काश्त राजस्व रेकर्ड अनुसार होने से इसी स्टेज पर खारीज किया जावें। प्रार्थी वकिल द्वारा उक्त आवेदन के सम्बन्ध में बताया गया की वक्त आवंटन के समय प्रार्थी व विप्रार्थीगण के खसरा नम्बर में कांट–छांट कर राजस्व रेकर्ड में हेराफेरी की गई तथा प्रार्थी का कब्जा वर्तमान खसरा नम्बर 231/179 प्रार्थी के नाम व खसरा नम्बर 233/179 विप्रार्थी संख्या 1 से 4 के नाम तथा 232/179 विप्रार्थी संख्या 5 से 10 के नाम दुरस्त की जावें। हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई तथा पत्रावली एंव पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रेकर्ड तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट विप्रार्थी वकील द्वारा पेश पुर्व में राजस्व आवेदन संख्या 203/2015 में पेश राजिनामे का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने के बाद प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त राजस्व आवेदन रेसज्युडिकेटेड की श्रेणी में आने के कारण प्रार्थी के उक्त आवेदन को इसी स्टेज पर खारीज किया जाता हैं।पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। 18/12/23 सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला–बाड़मेर	